न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 14/24

दायरा दिनांक 09.02.2024

1. केवल पुत्र फोसू उम्र 52 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम बसेली तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. जगदीश पुत्र फोसू उम्र 55 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम बसेली तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. रामकली पुत्री फोसू पत्नि जमना उम्र 58 वर्ष जाति सहरिया निवासी हाल नयागांव तहसील व जिला गुना म.प्र.

— अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. सरपंच ग्राम पंचायत बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

— रेस्पो.

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 08.02.1983 ग्राम खरका विजयपुर वनिर्णय सरपंच ग्राम पंचायत बमनगवां तहसील शाहाबाद बारां

निर्णय—दिनांक 27.05.2024

उपस्थित— अपीलाण्टस की ओर से—श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से — एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम खरका विजयपुर पटवार क्षेत्र बमनगवां तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा संख्या 15/36 रकबा 5.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलाण्टस के पिता फोसू पुत्र मायाराम कोम सहर साकिन बसेली के खाते की रही है। खातेदार फोसू की मृत्यु के बाद दर्ज प्रश्नगत फोती नामान्तकरण में पुत्र चेंतू नाम गलत दर्ज किया गया है, इस कारण प्रश्नगत नामान्तकरण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। मृत खातेदार फोसू का चेंतू नाम का कभी कोई पुत्र नहीं रहा है। मृतक फोसू के अपीलाण्टस केवल तथा जगदीश दो पुत्र, रामकली पुत्री तथा पत्नि मथरो मौजूद रहे हैं, जिनके नाम ही प्रश्नगत नामान्तकरण खोल तस्दीक किया जाना चाहिये था। प्रश्नगत नामान्तकरण में अपीलाण्ट क्रम 1 जगदीश तथा पत्नि मथरो का नाम सही दर्ज किया गया है और अपीलाण्टस क्रम 1 केवल तथा 3 रामकली का नाम दर्ज नहीं कर तथाकथित पुत्र चेंतू दर्ज कर दिया है जो गलत होने से प्रश्नगत फोती नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में खातेदार फोसू की पत्नि मथरो की मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम नामान्तकरण संख्या 156 दिनांक 22.10.21 से खाते से खारिज हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में मृत खातेदार फोसू के अपीलाण्टस पुत्र मौजूद हैं, जो वैधानिक वारिस हैं। अपीलाण्टस के पिता फोसू के खाते की अन्य ग्राम सेमलीतलेटी तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा संख्या 127 रकबा 1.06 बीघा में मृतक फोसू के सभी वारिसान का नाम सही दर्ज है, इस बावत नकल जमाबन्दी ग्राम सेमलीतलेटी सम्वत 2073—2076 अपील के साथ पेश है। दिनांक 11.01.2024 को प्रधानमंत्री सम्मान निधी

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर प्रश्नगत नामान्तरण का अपीलाण्टस को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। ज्यों ही ज्ञान हुआ कि हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण की नकल दिनांक 29.01.2024 को प्राप्त कर आज यह अपील सर्वप्रथम ज्ञान होने की तिथी से अन्दर मियाद पेश है। इसके पूर्व अपीलाण्टस को प्रश्नगत नामान्तकरण का कोई ज्ञान नहीं रहा है, इस कारण पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षम्य है। अपील का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील उचित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 39 दिनांक 08.02.1983 ग्राम खरका विजयपुर तहसील शाहाबाद आदेश सरपंच ग्राम पंचायत बमनगवां को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. कम 2 को आदेश दिया जावे कि वे आराजी खसरा संख्या 15/36 रकबा 5.00 बीघा ग्राम खरका विजयपुर पटवार क्षेत्र बमनगवां तहसील शाहावाद को मृत खातेदार फोसू पुत्र मायाराम सहर साकिन बसेली के स्थान पर अपीलाण्टस के नाम हिस्सा बराबर से नामान्तकरण दर्ज करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि अपीलाण्टस कम 1 केवल तथा 3 रामकली का नाम दर्ज नहीं कर तथाकथित पुत्र चेंतू दर्ज कर दिया है जो गलत होने से प्रश्नगत फोती नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम सेमलीतलेटी सम्वत 2073–2076 में फोसू के सभी वारिसान का नाम सही दर्ज है। मृत फोसू के वासिान की पुष्टि संलग्न जमाबंदी ग्राम सेमलीतलेटी से होती है।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 39 ग्राम खरका विजयपुर दिनांक 08.02.1983 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृत खातेदार फोसू पुत्र मायाराम जाति सहरिया साकिन बसेली तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर जमाबंदी ग्राम सेमलीतलेटी में दर्ज वारिसान को ध्यान में रखते हुये पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.05.2024

उपखण्ड अधिकारी

शाहाबाद

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहाबाद जिला बारां